बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी०पी०एम०–42/2016– 3076 /कृ0, पटना, दिनांक 14-07-,2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जिला सिंचाई योजना की तैयारी हेतु शत–प्रतिशत केन्द्रांश मद से कुल 380.00 लाख रूपये (तीन करोड़ अस्सी लाख रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 7.60 लाख रूपये (सात लाख साठ हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जिला सिंचाई योजना की तैयारी हेतु शत–प्रतिशत केन्द्रांश मद से कुल 380.00 लाख रूपये (तीन करोड़ अस्सी लाख रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 7.60 लाख रूपये (सात लाख साठ हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. जिला सिंचाई योजना जिला में सभी प्रकार के जल स्रोतो से उपलब्ध जल एवं जल के सभी प्रकार के उपयोग को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिला के लिए एक व्यापक सिंचाई परिदृश्य होगा। जिला सिंचाई योजना के अन्तर्गत Water budget तैयार किया जायेगा। Water budget के आधार पर योजनाओं का निर्माण किया जायेगा, जिससे जिला के अंदर उपलब्ध जल संसाधनों से जिला के सभी प्रकार की आवश्यकताओं यथा सिंचाई, पीने का पानी, घरेलू, उद्योग की पूर्ति की जा सकेगी। जिला सिंचाई योजना तैयार करने के क्रम में उन योजनाओं को पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जायेगी जो वर्तमान में चल रही है। साथ ही सिंचाई के लिए नयी योजनाएँ लेने के पूर्व सिंचाई के लिए वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का सुदृढ़ीकरण/मरम्मती कर इसकी उपयोगिता बढ़ाने पर बल दिया जायेगा। शहरी क्षेत्रों से बहने वाले Sewer Water को Treat कर शहर के नजदीकी क्षेत्रों में इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा सिंचाई अथवा जल प्रबंधन के लिए चलायी जानेवाली योजनाओं को एकरस्थ (Converge) किया जायेगा ताकि अधिक से अधिक राशि का सदुपयोग सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जा सके। जिला सिंचाई योजना तैयार करने में Convergence पर बल दिया जायेगा। विभिन्न श्रोतों से उपलब्ध अथवा प्राप्त होने वाली निधि की विवरणी देते हुए इससे कार्य योजना की प्राक्कलित राशि को घटाकर प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत राशि की आवश्यकता की गणना की जायेगी। चालू योजनाओं को पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जायेगी। शत–प्रतिशत क्षेत्रों को सिंचाई अन्तर्गत लाने में लम्बा समय लग सकता है। अगले 5 वर्षों में 20–30 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय वर्षवार लिये जाने वाले योजनाओं की प्राथमिकता तय की जायेगी। जिला सिंचाई योजना को समेकित कर राज्य सिंचाई योजना तैयार की जायेगी।

3. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जिला सिंचाई योजना/राज्य सिंचाई योजना तेयार करने के क्रम में प्रशिक्षण, तकनीकी सलाह, विभिन्न संस्थानों से प्राप्त किये जाने वाले आकड़ो एवं नक्शों इत्यादि पर भी राशि व्यय किया जा सकेगा।

13/07/16

E:\ABHINAV\2016-17\PMKSY 2016-17.docx

4. उक्त योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका एवं विभाग द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर तदनुसार प्रशासी विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

5. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जिला सिंचाई योजना की तैयारी हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार के पत्रांक–19–54 / 2015–RFS-III दिनांक–28.12.2015 के द्वारा 180.00 लाख रूपये एवं भारत सरकार के पत्रांक–19–54 / 2015–RFS-III दिनांक–19.02.2016 के द्वारा 200.00 लाख रूपये कुल 380.00 लाख रूपये शत–प्रतिशत केन्द्रांश मद में विमुक्त किया गया था। उक्त विमुक्त राशि व्यय नहीं होने के कारण भारत सरकार के पत्रांक–19–08 / 2015–RFS-III दिनांक–29.04.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पुनर्वैधीकरण किया गया है।

6. स्वीकृत राशि 7.60 लाख रूपये (सात लाख साठ हजार रूपये) की निकासी मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना – मांग सं० –1 उपशीर्ष–0261–प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड–P2401007960261, पी०एफ०एम०एस०कोड–9347, विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि 118.13 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

7. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त प्रवाह बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना के माध्यम से किया जायेगा। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी हेतु विपत्र बी०टी०सी० फार्म–46 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर राशि अंतरण जमा के माध्यम से बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना के पी०एल० खाता संख्या 278 में अंतरित की जायेगी। बामेती से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बामेती द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कृषि निदेशक के परामर्श के अनुसार बामेती के द्वारा राशि व्यय की जायेगी एवं संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को बामेती के द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी। बामेती / कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का अलग से बैंक खाते एवं लेखा का संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत गठित अन्तर–विभागीय कार्य समूह की दिनांक–30.05.2016 को आयोजित बैठक में उक्त योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

9. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनाक 22.06.2016 की बैठक में स्वीकृति संचिका संख्या–पी०पी०एम०–42 / 2016 के पृ0सं0– 50 / प० पर प्राप्त है। योजना कार्यान्वयन में मंत्री कृषि का दिनांक–29.06.2016 को स्वीकृति संचिका संख्या–पी०पी०एम०–42 / 2016 के पृ0सं0– 9 / टि० पर प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी०पी०एम०–42 / 2016 के पृ0सं0– 11 / टि० पर दिनांक– 06.07.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3076 /कृ0, पटना दिनांक 14-07-, 2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–~~सह-अपर सचिव~~,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3076 /कृ0, पटना, दिनांक 14-07-, 2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–~~सह-अपर सचिव~~
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3076 /कृ0, पटना, दिनांक 14-07-, 2016

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–~~सह-अपर सचिव~~,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3076 /कृ0, पटना, दिनांक 14-07-, 2016

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) योजना, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–~~सह-अपर सचिव~~,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3076 /कृ0, पटना, दिनांक 14-07-2016

प्रतिलिपि : अवर सचिव, भारत सरकार (RFS), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली/सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–~~सह-अपर सचिव~~,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2016-17\PMKSY 2016-17.docx